'सारा पावर सेंट्रलाइज, डीजी बनाने वाले कांस्टेबल के तबादले भी कर रहे हैं, मंत्री पावरलैस'

एसीआर भरने के मामले में अब कूदे मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा, बी.डी. कल्ला और भंवर सिंह भाटी ने भी दी अपनी राय

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में आईएएस अधिकारियों की एसीआर भरने की मांग उठाकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बहस शुरू की थी। इसी बहस के बीच उनकी और साथी मंत्री महेश जोशी के बीच गर्मागर्म बयानबाजी हुई थी और विवाद भी सामने आया था। इसी मामले में तीन और मंत्रियों ने अपनी राय जाहिर करते हुए मामले को और गरमा दिया है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने तो सीधे-सीधे कह दिया है कि राजस्थान में सारा पावर सेंट्रलाइज है और डीजी बनाने वाले ही कांस्टेबल तक के तबादले भी कर रहे हैं।

मंत्री गुढ़ा ने कहा कि आईएएस अफसर की एसीआर भरने के मामले में जो प्रश्न आया है, वो प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से आया है और उसके बाद से राजस्थान में इसको लेकर चर्चा हो रही है। गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान में मेरी जानकारी के अनुसार पावर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज है। जो डीजीपी की नियुक्ति करते हैं, वही कांस्टेबल का ट्रांसफर करते हैं। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी मुख्यमंत्री निवास पर जाना पड़ता है, फिर किसकी एसीआर भरने की बात कर रहे हैं। ऐसा कहकर गुढ़ा ने सीधे-सीधे बोल दिया है कि मुख्यमंत्री ही सब कुछ करते हैं, मंत्री पावरलैस हैं।

गुढ़ा ने कहा कि मंत्री की पावर की क्या बात करते हैं, जब कांस्टेबल के ट्रांसफर में मुख्यमंत्री गहलोत की परमिशन से हो या वही स्वयं करते हैं।

- **कल्ला ने कहा, "हमारे विभाग के जितने भी मातहत हैं, उनकी एसीआर हमें खुद ही भरना चाहिए"**
- **भाटी ने कहा, "हम सब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे, चुनौती देना ठीक नहीं है"**

गुढ़ा ने कहा कि पावर का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन इस सरकार में कोई पावर का विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा है। सब कुछ एक ही जगह पर है।

अब इसी मामले में वरिष्ठ मंत्री बीडी कल्ला ने खाचरियावास की मांग को खारिज करते हुए महेश जोशी का समर्थन किया है। कल्ला ने कहा कि हमारे विभाग के जितने भी मातहत हैं, उनकी एसीआर हमें खुद ही भरना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी मंत्रियों को अधिकार दे रखे हैं।

इसी मामले में बोलते हुए राज्य के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि बहुत से निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर होते हैं। मुख्यमंत्री के स्तर पर होने वाले काम को लेकर किसी भी तरह से सार्वजनिक चर्चा करना उचित नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री के स्तर पर हुए निर्णय को चुनौती देना उचित है। भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे मुखिया हैं और वह हमारी सब बात सुनते हैं। भाटी ने कहा कि चाहे मंत्री हों या अधिकारी, वह सबकी बात सुनते हैं और अधिकतर मामलों में निष्पक्ष फैसला करते हैं। हम सब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को चुनौती देना ठीक नहीं है।

भाटी ने कहा कि अधिकारियों से भी किसी प्रकार की कोई बात हो तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री भी हमें इस बात को लेकर नसीहत देते हैं कि हम सब जनता के ट्रस्टी हैं और हमको जनता के हित के अनुसार काम करना चाहिए।

'सैनिकों के कल्याण के लिये सात दिसम्बर तक धन-संग्रह पर्व मनाएंगे'

राज्यपाल और सैनिक कल्याण विभाग के संरक्षक कलराज मिश्र ने सोमवार को राजभवन में पूर्व सैनिकों की सहायतार्थ धन सहयोग के लिए निर्मित क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी ओर से उसमें धनराशि स्थानांतरित कर इसकी शुरुआत की। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह जसोल ने बताया कि राजस्थान में सोमवार से 7 दिसम्बर तक एक माह का धन-संग्रह पर्व मनाये जाने की पहल हुई है। इसके तहत राज्य के हरेक जिले में आम जन को प्रेरित कर पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ सहायता राशि एकत्रित की जाएगी।

गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को जयपुर के राजपार्क स्थित गुरुद्वारे को रोशनी से सजाया गया।

चेतक कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय को सौंपी

जयपुर। लेफ्टिनेंट जनरल जे बी चौधरी ने आज एक साल से अधिक के सफल कार्यकाल के बाद बठिंडा सैन्य स्टेशन में प्रतिष्ठित चेतक कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय को सौंपी।

कमान सौंपने की पूर्व संध्या पर अपने विदाई भाषण के दौरान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने चेतक कोर के सभी रैंकों को उनकी प्रतिबद्धता, उत्साह और संगठन के प्रति निष्ठा के लिए बधाई दी। उन्होंने उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सैनिक कौशल को सुधारने, प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और जटिल भविष्य के युद्ध क्षेत्र परिवेश और सामाजिक वातावरण की चुनौतियों के अनुकूल होने का आग्रह किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने महसूस किया कि सहानुभूति और दया, दृढ़ संकल्प और संगठन के प्रति समर्पण की इच्छा के साथ, नेतृत्व के मूल सिद्धांत हैं। उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सैनिक को सेवा के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय ने 33वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली। जनरल ऑफिसर को सिख लाइट इन्फैंट्री में कमीशन किया गया था।

मेडिकल छात्र की बकाया छात्रवृत्ति जारी करने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2020 मामले में मेडिकल छात्र के एडमिशन को सुनिश्चित करते हुए दो साल की बकाया छात्रवृत्ति जारी करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार गौड की एकलपीठ ने यह आदेश पंकज मीणा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के नीट आवेदन में ई-मित्र संचालक की लापरवाही के कारण पिता के कॉलम में माता और माता के कॉलम में पिता का नाम दर्ज हो गया था। इस पर छात्र ने नाम सही करने के साथ ही प्रवेश व छात्रवृत्ति दिलवाने के लिए याचिका दायर की थी। छात्रवृत्ति जारी नहीं करने पर अदालत ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी।

इसके साथ ही अदालत ने छात्रवृत्ति जारी नहीं करने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव को तलब करते हुए शपथ पत्र पेश कर यह बताने को कहा था कि प्रदेश में किस प्रक्रिया के तहत छात्रवृत्ति जारी की जाती है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में शपथ पत्र करने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के एडमिशन को सुनिश्चित करने के आदेश देते हुए दो साल की बकाया छात्रवृत्ति जारी करने को कहा है।

'भाजपा प्रत्येक बूथ पर 20 नवमतदाता को पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जोड़ेगी'

- **भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, प्रदेश मंत्री मधु कुमावत, विजेन्द्र पूनिया, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने किया संबोधित**

जयपुर। भाजपा के प्रदेशभर के नवमतदाता अभियान के जिला संयोजक व सह-संयोजकों की कार्यशाला प्रदेश कार्यालय में सम्पन्न हुई। कार्यशाला के शुभारंभ में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि आप सभी पर पार्टी ने एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी है कि हर बूथ पर प्रथमबार जितने नवमतदाता हैं उनमें से कम से कम 20 नवमतदाताओं को भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जोड़ना है, इसलिए प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर नवमतदाताओं को भाजपा कार्यकर्ता के रूप में मजबूती से खड़ा करना है।

उन्होंने कहा कि, पूरी सक्रियता के साथ नवमतदाता अभियान चलाना है इसके लिए बूथ तक संरचना का कार्य हम सबको करना है। कार्यशाला के अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि तकनीकी के आधुनिक युग में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में व्यापक संवाद बढ़ा दिया है। इसलिए नवमतदाताओं के बीच में पूरी तैयारी के साथ केन्द्र की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं राजस्थान सरकार की विफलताओं को लेकर जाएं।

आमेर तहसील का घेराव कल

जयपुर। देश की महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी आमेर की बदहाल सड़कों के निर्माण की और पीने के पानी की सप्लाई माँग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आमेर विधायक डॉ. सतीश पूनियां के नेतृत्व में आमेर तहसील का 9 नवंबर को घेराव कर गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार को जगाएंगे। आमेर चलो...तहसील घेरो लोकतंत्र में जब सरकार नहीं सुने तो आवाज़ मुखर करो, इस हकीकत से रू-ब-रू कराने के लिये भारतीय जनता पार्टी, आमेर शहर मंडल(जयपुर शहर) द्वारा आयोजित पैदल मार्च 9 नवंबर को कुंडा तिराहे से आमेर तहसील तक निकाला जायेगा।

स्काउट व गाइड के स्थापना दिवस पर झण्डा स्टीकर का विमोचन

जयपुर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने अपने निवास पर झण्डा स्टीकर का विमोचन कर भारत स्काउट व गाइड के स्थापना दिवस पर राज्य स्तर पर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इसी क्रम में मुख्यालय स्तर पर स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य ने झण्डा स्टीकर का विमोचन कर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को भारत स्काउट व गाइड के स्थापना दिवस की बधाई दी।

राज्य संगठन अध्यक्ष ने स्टीकर विमोचन के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संगठन पूर्व की भाँति राष्ट्र में अपना परचम फहरायेगा। भारत स्काउट द्वारा आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी का 4 से 10 जनवरी तक रोहट, जिला पाली में आयोजन से राजस्थान प्रदेश सम्पूर्ण राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर सकेगा।

'सबसे अच्छा काम कर रहे हैं सतीश पूनिया'

जयपुर। आमेर विधानसभा क्षेत्र में दीपावली स्नेह मिलन कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि, आप बड़े भाग्यशाली हो आपने आशीर्वाद दिया। आपके आशीर्वाद से आपके आमेर के विधायक पूरे राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भाजपा के डॉ. सतीश पूनिया हैं। आमेर क्षेत्र का पूरा मान सम्मान इस प्रदेश में ही नहीं, जब पूरे देशभर की भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति होती है उसमें सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया जाता है, तो वहां भी कहा जाता है कि सबसे बढ़िया काम किस प्रदेश अध्यक्ष ने किया तो डॉ. सतीश पूनिया का नाम ऊपर आता है।

प्रदेश के 6 जिलों में 23 नए करोना संक्रमित मिले

-कार्यालय संवाददाता-

- **जयपुर में सोमवार को 8 नए संक्रमित सामने आए हैं**

जयपुर। प्रदेश में सोमवार को नए करोना संक्रमितों की संख्या में और कमी आई है। इस दौरान 23 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच दोगुना से ज्यादा रिकवरी होने से एक्टिव केस घटकर 330 रह गए हैं।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 6 जिलों में 23 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले रविवार को 37 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में आज 8 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सिरोही में 7, राजसमंद व अजमेर में 3-3 तथा जोधपुर और उदयपुर में एक-एक नया संक्रमित मिला है। इस बीच राज्य में 1080 जांचे की गई।

प्रदेश में सोमवार को नए संक्रमितों से अधिक रिकवरी हुई हैं। इस दौरान 54 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 330 रह गए हैं। राजधानी जयपुर में भी आज 28 और मरीजों के रिकवर होने से एक्टिव केस घटकर 102 रह गए हैं। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9646 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी जयपुर में सोमवार को 6 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सांगानेर में 2 तथा जगतपुरा, झोटवाड़ा, मालवीय नगर और वैशाली नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 2 संक्रमितों का पता गलत मिला है।

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सतवीर सिंह को बीस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म कर ना सिर्फ उसे शारीरिक और भावनात्मक क्षति पहुंचाई, बल्कि उसके व्यक्तित्व और गरिमा को भी आहत करने का काम किया है। इसलिए उसके खिलाफ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीडिता के पिता ने 19 अगस्त, 2020 को सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि एक दिन पहले पडोसी किराएदार ने उसकी पन्द्रह वर्षीय पीडिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।

मानदेय में वृद्धि

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं लोक जुम्बिश कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

क्या वार्डों की संख्या बढ़ाकर राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाए गए थे दो नगर निगम : हाईकोर्ट

- **हाईकोर्ट ने नगर निगम हैरिटेज और ग्रेटर के कई विभागों का कामकाज एक ही अफसर के संभालने के मामले में कड़ी मौखिक टिप्पणी की है**
- **अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि जब दो नगर निगम नहीं संभल रहे हैं तो शहर को ही दो हिस्सों में बांटकर नया शहर बसा देते, ताकि नया नगर निगम नए कर्मचारियों के साथ काम-काज तो करता**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम हैरिटेज और ग्रेटर के कई विभागों का कामकाज एक ही अफसर के संभालने के मामले में कड़ी मौखिक टिप्पणी की है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि जब दो नगर निगम नहीं संभल रहे हैं तो शहर को ही दो हिस्सों में बांटकर नया शहर बसा देते, ताकि नया नगर निगम नए कर्मचारियों के साथ काम-काज तो करता। अदालत ने कहा कि पुरानी नगर निगम के स्टाफ से ही दोनों नगर निगम चला रहे हो तो क्या वार्ड की संख्या बढ़ाकर राजनीतिक उद्देश्य के लिए दो नगर निगम बनाए थे। सीजे पंकज मित्थल व जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह मौखिक टिप्पणी सोमवार को ओपी टांक की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह आगामी सुनवाई को बताए कि निगम का कौनसा अफसर किस जगह पदस्थापित है। अदालत ने कहा कि दो निगम बनाने के बाद भी शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अक्टूबर 2019 में शहर के विकास को सुचारू गति और प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के नाम पर जयपुर नगर निगम को हैरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के तौर पर दो निगमों में बांटा था। इसके बावजूद भी गैराज, उद्यान व टाउन प्लानिंग विभाग सहित अन्य विभागों के एक ही अफसर दोनों निगमों का काम देख रहे हैं। जिस पर राज्य के एएजी अनिल मेहता ने कहा कि जयपुर शहर का विस्तार हो गया है और नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया था। जिस पर खंडपीठ ने कहा कि यदि दो नगर निगम संभल नहीं रहे हैं तो बनाने की क्या जरूरत थी।

दरअसल पीआईएल में कहा गया कि पूर्व में हाईकोर्ट में नगर निगम के विभाजन को चुनौती दी गई थी। उस समय एजी ने यह कहते हुए राज्य सरकार का बचाव किया था कि दो नगर निगम होने से प्रशासनिक दृष्टि से आसानी रहेगी और क्षेत्र कम होने से अधिकारी कामों की निगरानी कर सकेंगे। जबकि अधिकारियों का बंटवारा केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है, दोनों नगर निगमों के कई पदों पर एक ही अधिकारी काम कर रहे हैं।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

MRF Limited

Regd. Off: 114, Greams Road, Chennai 600 006 Email: mrfshare@mrfmail.com; Tel.:044-28292777; Fax: 91-44-28295087 CIN: L25111TN1960PLC004306; Website: www.mrftyres.com

Notice is hereby given that the following share certificates are reported misplaced or lost or stolen and the Shareholders/Claimants thereof have appealed to the Company for issue of duplicate share certificates:

Share Cert No. 202746 for 50 shares bearing distinctive nos. 698461-698510 all inclusive under Ledger Folio no.P04903 in the name of **Mr. HARI NARAIN PARWAL** and **Mrs. SANTOSH MANIHAR** residing at **No. J-181/G, SANGRAM COLONY,MAHAVEER MARG, C-SCHEME, JAIPUR - 302001**

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above share certificates. Any person[s] who has/have any claim in respect of the above share certificates should lodge such claim in writing to the Company at the address mentioned above within 21 days from the date of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed with the issue of duplicate share certificates.

Chennai
November 2, 2022

For **MRF LIMITED**
S. DHANVANT KUMAR
Company Secretary

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1936 दिनांक-28.10.2022

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 2/76 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 90.00 वर्गमिटर/वर्गगज का आवंटन श्री अब्दुल रहीम पुत्र श्री अब्दुल गफ्फूर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 309 दिनांक 22.01.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 08.05.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 4367 दिनांक 29.09.2002 के द्वारा श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र श्री मन्नी लाल गुप्ता के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 19.01.2004 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री राधेश्याम गुप्ता की मृत्यु दिनांक 22.02.2019 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती मन्जुलता अग्रवाल पत्नी स्व. श्री राधेश्याम गुप्ता ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र हकत्याग की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती मन्जुलता अग्रवाल पत्नी स्व. श्री राधेश्याम गुप्ता के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती मन्जुलता अग्रवाल पत्नी स्व. श्री राधेश्याम गुप्ता के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उपआवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/950 दिनांक-21.06.2022

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 13/496 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 46.080 वर्गमिटर/वर्गगज का आवंटन श्री प्रकाश चन्द दुआ पुत्र श्री जेठानन्द दुआ को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4075 दिनांक 27.02.1987 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 14.04.1987 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 2634 दिनांक 25.07.2002 के द्वारा श्री बाल कृष्ण पुरोहित पुत्र श्री जेठमल पुरोहित के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 19.03.2013 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री बाल कृष्ण पुरोहित की मृत्यु दिनांक 30.06.2020 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार पुरोहित पुत्र स्व. श्री बाल कृष्ण पुरोहित ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्री राजेन्द्र कुमार पुरोहित पुत्र स्व. श्री बाल कृष्ण पुरोहित के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक राजेन्द्र कुमार पुरोहित पुत्र स्व. श्री बाल कृष्ण पुरोहित के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उपआवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम विवाह उपरान्त दिव्या वाट्स (Divya Watts) से बदलकर दिव्या शर्मा रख लिया है भविष्य में मुझे परिवर्तित नाम से जाना जाए, पता-फ्लैट-128, सहयोग अपार्टमेंट, टावर-2, विद्याधर नगर, जयपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक:- DHC-II/1955 जाहिर आम सूचना दिनांक: 31/10/22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 42/38/04, मानसरोवर, जयपुर क्षेत्रफल 43.470 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री नत्थू मल पुत्र श्री टहल राम को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 71 दिनांक 29.09.1986 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 22.11.1986 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात् श्री नत्थू मल की मृत्यु दिनांक 03.07.1991 को हो जाने के कारण पंजीकृत हकत्याग के आधार पर श्रीमती अन्नू सधानानी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल सधानानी ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती अन्नू सधानानी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल सधानानी के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति / आवेदक श्रीमती अन्नू सधानानी पत्नी स्व. श्री मोहन लाल सधानानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांक:- DHC-II/2030 जाहिर आम सूचना दिनांक: 7/11/22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 151/24, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 190.00 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन श्री बालमुकन्द अग्रवाल एवं श्री सुनील अग्रवाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2134 दिनांक 04.06.1994 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 04.05.1995 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1224 दिनांक 28.07.1995 के द्वारा श्री बालमुकन्द अग्रवाल एवं श्री सुनील अग्रवाल के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्री बालमुकन्द अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 13.12.2006 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री सुनील अग्रवाल पुत्र श्री बालमुकन्द अग्रवाल ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। सुनील अग्रवाल पुत्र श्री बालमुकन्द अग्रवाल के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति / आवेदक श्री सुनील अग्रवाल पुत्र श्री बालमुकन्द अग्रवाल के पक्ष में उक्त आवास के एकल नाम से हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

खोया पाया

मकान संख्या 114/166, सैक्टर 11, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का अलोटमेन्ट लेटर नम्बर 5098 दिनांक 31.03.1997 कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। विजय गिदवानी

मकान नं. 34/60, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के ओरिजनल दस्तावेज भौतिक कब्जा पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र कहीं खो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें- चन्द्र प्रकाश जौहर-8800955900

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली
अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालयADJ-I साहब स्थान हिण्डौन सिटी मीनू भारद्वाज विरूद्ध अशू कुमार शर्मा
वाद/प्रार्थना पत्र धारा 13 H.M. Act
प्रार्थना-पत्र संख्या 84/2021 सन्

नाम अंशू कुमार शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि. कौशल नगर, जागीर बांदीकुई जिला-दौसा (राज.)। उक्त प्रार्थियां ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 14 माह 11 सन् 2022 को 10 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 2 माह 11 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई। आज्ञा से- सीनियर रीडर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश

मुहर सं.-1, हिण्डौन सिटी

कार्यालय नगर पालिका मण्डावरी (दौसा)

क्रमांक-न.पा.म./2022/2790 दिनांक-7.11.2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तृतीय चरण के दौरान 69-ए, पट्टे/नवीनीकरण/पट्टा स्तान्तरण/पूर्ण स्वामित्व पट्टा प्राप्त करने के लिये पत्रावलिया प्राप्त हुई है उक्त पत्रावलियों में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 दिवस में मय लिखित सबूत पालिका में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद कोई उज्रदारी मान्य नहीं होगी।

अतः सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 7.11.2022 को जारी की है।

आपत्ति आमंत्रण सूचना

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मोहल्ला/वार्ड	क्षेत्रफल वर्गगज
1	श्री ओमप्रकाश माली पुत्र श्री रेवडमल माली	माली मोहल्ला	83.33
2	श्री चन्द्रशेखर सोनी पुत्र श्री राजमल सोनी	सोनी मोहल्ला	329.21
3	श्री गजानन्द योगी पुत्र श्री प्रहलाद योगी	जोगी मोहल्ला	97.55
4	श्री रेवडमल पुत्र श्री माधोलाल शर्मा	माली मोहल्ला	73.33
5	श्री राहुल अग्रवाल पुत्र श्री विनोद अग्रवाल श्री आकाश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	मैन मार्केट हताई चौक	50.48
6	श्रीमती माया देवी पत्नी श्री विनोद अग्रवाल श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद	हताई चौक	93.94
7	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री जगदीश अग्रवाल	नाईयों का मोहल्ला	100.44
8	श्री मुरारी लाल गोयल पुत्र श्री रामफूल गोयल	खेंडा वालों का मोहल्ला	119.77
9	श्री सोहिल खान पुत्र श्री गफ्फार खान	गंगापुर रोड, मण्डावरी	36.25
10	श्री रामराज योगी पुत्र श्री भूरा लाल योगी	योगी मोहल्ला	130.10
11	श्री सत्यनारायण गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद गुप्ता	हताई मोहल्ल	156.01
12	श्री नवल किशोर, भोमराज मीना पुत्र श्री रेवड मल मीना	पशु चिकित्सालय के पास	229.44
13	श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा (पण्डा)	मूर्ति मोहल्ला	66.66
14	श्री गोपाललाल गोयल पुत्र श्री रामफूल गोयल	जोगी मोहल्ला	210.64
15	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री रामकेश मीना	मण्डावरी	38.33

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, मण्डावरी

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावरी (दौसा)

क्रमांक- कृ.उ.म.स./आवंटन/2022-23/778-785 दिनांक- 4.11.2022

आवंटन प्रेस विज्ञप्ति सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावरी के मुख्य मंडी यार्ड में निर्मित रिक्त 3 फुटकर दुकान एवं 1000 मैटिक टन के सामान्य गोदाम का आवंटन नीति 2005 के निहित प्रावधानों व संशोधनों अन्तर्गत 99 वर्षीय लीज पद्धति पर जहां है, जैसी है, (यथा स्थिति) में विभिन्न प्रयोजनों हेतु सारणीनुमान निर्धारित नीति, नियम एवं प्रक्रियानुसार आवंटन किया जाना है। इस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक 19.12.2022 तक आवेदन पत्र शुल्क 500/- रूपये जमा करवाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर उसी दिनांक को सायं 05.00 बजे तक जमा करवाये जा सकते है। आवेदन से पूर्व पात्रता, वर्गवार आरक्षण, वर्गवार रिक्त फुटकर दुकानों एवं 1000 मैट्रिक टन सामान्य गोदाम की स्थिति तथा इस सम्बन्ध में अन्य नियम व समस्त शर्तो की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

अचल सम्पत्ति आवंटन नीति के प्रावधान, आरक्षण व शर्तो हेतु विभागीय website www.agriculture.rajsthan.gov.in/mandi पर आवंटन नीति 2005 व संशोधित प्रावधानों का अवलोकन करें। आवंटन तिथि तक राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी संशोधन मान्य होगा।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावरी